श्री भगवती लाल गमेती, क्वार्ट्ज, फेल्सपार एवं मेसोनरी स्टोन माईन्स, पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई दिनांक 13.03.2024 प्रातः 11.00 AM बजे, राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत भानसोल, ग्राम–भानसोल, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर

यह जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 06.02.2024 एवं राष्ट्रदूत में दिनांक 06.02.2024 को प्रकाशित करवा दी गई है।

यह जनसुनवाई **"श्री भगवती लाल गमेती"** द्वारा प्रस्तावित **क्वार्ट्ज, फेल्सपार एवं मेसोनरी स्टोन** खनन परियोजना (**एम.एल.न. 20/2022** (लीज क्षेत्र 1.4131 हैक्टेयर) क्लस्टर के अन्तर्गत सभी खनन पट्टो को शामिल करते हुए कुल क्लस्टर क्षेत्र 9.9904 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 3,84,781 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्ट्ज, फेल्सपार एवं मेसोनरी स्टोन उत्पादन क्षमता 91,118 TPA निकट ग्राम–भानसोल, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रू. 113/– लाख है।

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुन तत्पश्चात् आपको यदि इसके बाबत् कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आप अपना नाम तथा गांव का नाम बताए साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझें हमें दे सकते हैं।

इस जनसुवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी./ डी.वी.डी. के अनुरूप कार्यवृत तैयार किए जायेंगे जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्योंकि इस इकाई को सन्दर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 27.03.2023 को इस कमेटी द्वारा जारी की है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तों की उद्योग द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्षमता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

अति.जिला कलक्टर
(नगर), उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उधोग मालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (परिशिष्ठ "अ" में सलंग्न) है।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मानिन्द्र द्वारा उक्त इकाई के संबन्ध में तैयार की गई ई.आइ.ई रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की संलग्नक ''ब''के अनुसार है।

अतः कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आंमत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार हैः–

श्री राजु ग्राम भानसोल :–

की इसमें बोला है कि भांसोल जब की यह भूमि है खेड़ा भांसोल में इसका क्या कारण है।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

क्या यह कैसे है।

पर्यावरणीय सलाहकार :–

गांव भांसोल नही है।

श्री राजु ग्राम भानसोल :–

भांसोल नही खेड़ा भांसोल में है यह।

श्री राजीव द्विवेदी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, साहब, उदयपुर :–

नही खेड़ा भांसोल और भांसोल दो अलग–अलग राजस्व ग्राम है या।

ग्रामवासी :–

राजस्व ग्राम है।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

क्या इसमें क्या है।

पर्यावरणीय सलाहकार :–

सर इनकी खेड़ा भांसोल अलग गांव है और भांसोल अलग गांव है।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

नही तो अपन जो करवा रहे है यह तो भांसोल ही करवा रहे है।

पर्यावरणीय सलाहकार :–

जी सर।

अति.जिला कलक्टर
(नगर), उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

तो यह अपनी माईन्स किस लोकेशन पर है।

पर्यावरणीय सलाहाकार :–

इसी गांव में स्थित है।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

इसी गांव में ही है, आप क्या कहना चाह रहे है खेड़ा भांसोल क्या।

श्री राजीव द्विवेदी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, साहब, उदयपुर :–

वो कह रहे है खेड़ा भांसोल में स्थित है।

ग्रामवासी :–

राजस्व ग्राम खेड़ा भांसोल।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

माईन्स जो है।

ग्रामवासी :–

माईन्स जो है वो राजस्व ग्राम खेड़ा भांसोल।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

नही माईन्स तो माईन्स डिपार्टमेन्ट अलॉट करी होगी ना उनका नाम लिखा होगा गांव का नाम उधर भांसोल ही लिखा हुआ हैं नाम तो।

ग्रामवासी :–

पंचायत भांसोल है।

श्री भगवती लाल गमेती, प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट :–

गांव में 40 लोगों को मजदुरी देंगे। माईन्स पर पेड़ पौधे लगाऐंगे गांव के विकास में काम करेगे।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

कोई यहां गांव में स्कूल कौनसा है। स्कूल में पूरा फेसिलिटी वगेहरा है। सारी अगर कोई ऐसा है तो काम बता सकते है आप, वैसे यह तो यही गांव के है तो आप मिलजुल के कर सकते है। कोई दिक्कत वाली बात नही।

अति.जिला कलक्टर
(नगर), उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री राजीव द्विवेदी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, साहब, उदयपुर :—

सक्सेना साहब और माईन्स ऑनर और गांव भांसोल से पधारे हुए सभी ग्रामीणजन आज की जो जनसुनवाई होती है मूल उपदेश्य यह होता है की माईन्स आपके यहां लगने जा रही है तो उसके प्रारम्भ होने के बाद में यह अपेक्षा की जाती है। माईन्स ऑनर से कि वो स्थानीय लोगो को रोजगार दे और गांव ग्राम पंचायत के विकास के अंदर जो कि सीएसआर एक्टिविटी होती है। जिसके तहत विद्यालय का विकास हुआ या पेड़ पौधे लगाने वाली बाती हुई तो इन चीजों में जो है वो सदैव तत्पर होकर के और सहयोग करे तो एक तो आप लोगों कि तरफ से ऐसा कोई विशेष आक्षेप अभी सामने नही आया है तो मैं स्वयं जो है इनसे अपेक्षा करूगा कि क्योकी एनवायरमेन्ट क्लीरेन्स कि यह जनसुनवाई है तो जब भी यह अपनी माईन्स का खनन प्रारम्भ करे तो पर्यावरण कि सुरक्षा का पुरा ध्यान रखे आवश्यकतानुसार पेड़ पौधे जरूर लगाए और किसी भी प्रकार की आम जनता को असुविधा ना हो इसका ख्याल रखे, आपके यहां पर विद्यालय आदि जो भी है। उनकी विकास के लिए भामाशाह के रूप में जो भी बच्चों के भविष्य के लिए आवश्यक हो वो सीएसआर एक्टिविटी आप करे गांव वालो को रोजगार देने का जो कार्य है तो स्थानीय लोगों को रोजगार का उपप्राथमिकता देवे यही आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद।

श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकॉर्डिंग सी.डी (**परिशिष्ठ "स"** में सलंग्न) एवं फोटोग्राफ (**परिशिष्ठ "द"** में सलंग्न) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर–(प्रशासन), उदयपुर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(राजीव द्विवेदी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर)
जिला–उदयपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(नगर) उदयपुर

(शरद सक्सेना)
क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षे.का.,रा.प्र.नि.म., उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

संलग्नक : 1

श्री भगवती लाल गमेती, क्वार्ट्ज, फेल्सपार एवं मेसोनरी स्टोन (एम.एल.न. 20/2022, क्षेत्रफल– 1.4131 हैक्टेयर) प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 3,84,781 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्ट्ज, फेल्सपार एवं मेसोनरी स्टोन उत्पादन क्षमता 91,118 TPA निकट ग्राम– भानसोल, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 13.03.2024 को प्रातः 11.00 AM बजे, राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत भानसोल, ग्राम–भानसोल, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगण:–

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	श्री राजीव त्रिवेदी	ADM City Udaipur	[illegible]
2	शरद सक्सेना	RO RSPCB Udaipur	[illegible]
3	देवराज	FEES Jaipur	[illegible]
4	C.P. Jeengar	RPCB Udaipur	[illegible]
5	भगवतीलाल	पलाना (P.P)	भगवतीला
6	मो. वाहिद	नाथद्वारा	मो. वाहिद
7	विजय सिंह	कारोली	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	B
9	RITURAJ SHARMA	UDAIPUR	[illegible]
10	Vijay Sindhal	Jhar Sadri	Vijay
11	राजकुमार	गडवाडा	रव
12	मगनपुरी	नेगड़िया	मगनपुरी
13	नरेन्द्र सिंह	झाड़सादड़ी	नरेन्द्र
14	सुरेन्द्र सिंह	भानसोल	[illegible]
15	धन्नी राम	पलाना	धन्नीराम
16	डडी राम	पलाना	डडीराम
17	प्रकाश	निम्बाड़ा की डांग	प्रकाश
18	ललित	पलाना	ललित
19	राकेश	निम्बाड़ा की डांग	राकेश
20	डूंगर	पलाना	डूंगर
21	सोहन लाल	पलाना	सोहनलाल

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता / विभाग का नाम	हस्ताक्षर
	निलेश	पालना	
22	गोपाल	निम्थाड़ा की डांग	निलेश
23		पलाना	गोपाल
24	ईन्दर लाल		
25			ईन्दर लाल
26	पवनलाल	पलाना	
27	श्रवण कुमार साहु	नाथद्वारा	पवन
28	अशोक कुमार सोनी	नाथद्वारा	[illegible]
29	करण सिंह सिसोदिया		अशोक
30	गिरधारी सिंह सिसोदिया	झाडआढ़री	करण सिंह
31	गोविंद सिंह सिसोदिया	भानसोल	गिरधारीसिंह
32	सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया	भानसोल	गोविंदसिंह
33.	बाबूलाल गायरी	भानसोल	सुरेन्द्र सिं
34	मंगल सिंह	गडवाडा	बाबुलाल
35	सुरेन्द्र सिंह सोलंकी	भानसोल	मंगलसिंह
		ओडन	सुरेन्द्र सिंह
	Manindra Gun	fees, Jaipur	[signature]

.: RPCB/RO U/UDR/ 12557

र 70 लोजर मदर को पौष्टिक दलिया मिलेगा। मुख्य अतिथि एडवोकेट निर्मल पंडित एवं वशिष्ठ अतिथि बृजमोहन विशिष्ट एवं नर्सिंग अधिकारी भावना कलाल थे।

... पत्र में बताया कि ईडब्ल्यूएस में केन्द्र सरकार द्वारा विसंगति रख दी गई है। एक तरफ गुजरात सरकार व राजस्थान सरकार ने

... चन्द्रभानसिंह शक्तावत पिपलिया, केन्द्रीय अध्यक्ष मेवाड़ क्षत्रिय महासभा अशोक सिंह मेतवाला शामिल रहे।

मल्टी स्पेशियलिटी सामुदायिक स्वास्थ्य शिविर

ब्यूरो नवज्योति/उदयपुर। सामुदायिक स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास के तहत हिंदुस्तान जिंक द्वारा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी उदयपुर के सहयोग से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साकरोदा में सामुदायिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। शिविर में 242 से अधिक लोगों ने मुफ्त स्वास्थ्य जांच और आवश्यक चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में डॉ. सुरेंद्र समर, डॉ. रणवीर मेहता, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. कमला कंवरानी, त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. आशुतोष पंड्या, डॉ. अनुराग तलेसरा हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. उमा मेहता, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. अरुण समर, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. राजकुमारी सामर, ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. भानु वर्मा, एवं चिकित्सक डॉ. एस.एस. मेहता के साथ आईआरसी उदयपुर से डॉ. गजेंद्र भंसाली की मेडिकल टीम ने सेवाएं प्रदान कीं। आईआरसी उदयपुर के चेयरपर्सन डॉ. गजेंद्र भंसाली के नेतृत्व में डॉ. राजश्री गांधी, प्रेमलता मेहता, कृष्णा भंडारी, चंद्रकला आर्य, डॉ. महेंद्र सिंह, दलपत जैन, मुरली सोनी, एवं आजाद बोरदियाने

आयोजन की सफलता में सक्रिय भूमिका निभाई। इस अवसर पर जिंक स्मेल्टर देबारी, एसबीयू निदेशक मानस त्यागी, सीएसओ रविराज पुलभटला और जेडएसडी कर्मचारी संघ के महासचिव प्रकाश श्रीमाल एवं सीएमओ डॉ. सुमीत सिरोया आदि उपस्थिति थे।

छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां दे बटोरी तालियां

ब्यूरो नवज्योति/उदयपुर। खेरवाड़ा उपखंड के स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी माध्यम मॉडल विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह में छात्र-छात्राओं ने राजस्थानी, गुजराती एवं स्थानीय गीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी।

समारोह के मुख्य अतिथि खेरवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी आहारी थीं, अध्यक्षता ग्राम पंचायत पोगरा की सरपंच संगीता डामोर ने की। विशिष्ट अतिथि राकेश डामोर पीईईओ पोगरा, शिक्षक अभिभावक संघ की अध्यक्ष दुर्गा भगोरा, समाजसेवी रौनक जैन रहे। प्रधानाचार्य जीतेंद्र गोयल ने विद्यालय की उपलब्धियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विद्यालय की छात्रा वर्ग बैण्ड को राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने पर सम्मानित किया।

शिविर में 44 रोगियों को परामर्श

ब्यूरो नवज्योति/उदयपुर। प्रार्थना मानव सेवा संस्थान के अध्यक्ष हेमंत चौपड़ा ने बताया कि संस्थान द्वारा संस्थान कार्यालय पर निःशुल्क होम्योपैथी चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ। डॉ अनन्त प्रकाश गुप्ता ने बताया कि शिविर में 44 रोगियों का उपचार किया गया। संस्थान सचिव विनय जैन ने बताया कि शिविर में पूर्णतः निःशुल्क जांच, परामर्श एवं दवाई वितरण किया गया।

आदि गौड़ ब्राह्मण वरिष्ठजन संघ ने किए देवदर्शन

ब्यूरो नवज्योति/उदयपुर। आदि गौड़ ब्राह्मण वरिष्ठजन संघ के बैनर तले समाज के वरिष्ठ सदस्यों की धार्मिक यात्रा का आयोजन हुआ। संघ के कन्हैयालाल शर्मा ने बताया कि यात्रा के तहत अमरखजी महादेव, एकलिंगनाथ जी, श्रीनाथ जी के दर्शन किए। डॉ अश्विनी गौड़ की अध्यक्षता में धार्मिक कार्यक्रम हुआ। भामाशाह भरत शर्मा को पगड़ी उपरणा पहनाकर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुरलीधर गौड़, प्रेमकुमार शर्मा ने कविता पाठ किया गया।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्यास, उदयपुर
दि.: 02-01-2024

लोक सूचना

श्री INDER LAL GURJAR पुत्र श्री SH DEVI LAL GURJAR जाति GURJAR निवासी GOVERDHAN VILAS, UDAIPUR, श्रीमती SMT SAJJAN BAI GURJAR पत्नी श्री SH DEVI LAL GURJAR जाति GURJAR निवासी GOVERDHAN VILAS, UDAIPUR ...

क्र.सं.	ग्राम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1	[illegible]	INDER LAL GURJAR S/O SH DEVILAL GURJAR, SMT SAJJAN BAI GURJAR W/O SH DEVILAL GURJAR	1327,1565 1566 MI, 1567,1568 1569, 2079/1560 2080/1560	18000	1.80
				कुल	1.80

... Development Authority (UDH) ... आज 16-01-2024 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

DNU 310094

यूको बैंक UCO BANK
उदयपुर मुख्य शाखा (0126)

ई-नीलामी निरस्तीकरण सूचना

दिनांक 07.01.2024 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना में ऋणी: श्रीमती मंजू वमीना पत्नी श्री लोकेश वमीना की सम्पत्ति नीलामी दिनांक 06.02.2024 को सुनिश्चित की गई थी, जिसे अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है। आपको हुई असुविधा के लिए खेद है।

प्राधिकृत अधिकारी,
दिनांक: 06.02.2024 यूको बैंक

DNJ-310068

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एफ: 470,यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)
ई-मेल: rorpcbudaipur@gmail.com, फोन नं.: 0294-2491269

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय:- श्री भगवती लाल गमेती, एम.एल.न. 20/2022 (क्षेत्रफल 1.4131 हैक्टेयर) "क्वार्टज, फैल्सपार एवं मेसेनरी स्टोन", ग्राम-मानसोल, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री भगवती लाल गमेती, एम.एल.न. 20/2022 (क्षेत्रफल 1.4131 हैक्टेयर) "क्वार्टज, फैल्सपार एवं मेसेनरी स्टोन", ग्राम-मानसोल, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टज, फैल्सपार एवं मेसेनरी स्टोन माईन (एम.एल.न. 20/2022, क्षेत्रफल 1.4131 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 91,118 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।

2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है

3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:- 1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर। 2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय-4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.)। 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर। 6) उपखण्ड अधिकारी, मावली, जिला-उदयपुर। 7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। 8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 13.03.2024 (बुधवार) को प्रातः 11:00 बजे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मानसोल, ग्राम-मानसोल, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

DNU 310081

Aavas
SAPNE AAPKE, SAATH HAMAARA
आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड
(पूर्व में "ए यू हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड" के नाम से ज्ञात) (CIN: L65922RJ2011PLC034297)
पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020

कब्जा नोटिस

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड (पूर्व में "ए यू हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड" के नाम से ज्ञात) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002" की धारा 13(12) और सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मांग सूचना पत्र जारी किया गया। नीचे तालिका में उनके सामने दर्शाए अनुसार राशि का मांग पत्र प्राप्ति के 60 दिन के अंदर भुगतान करने की मांग की गयी। यह है कि ऋणी सम्बंधित राशियों का भुगतान करने में विफल रहे अतः ऋणीयों तथा आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट की धारा 13(4) सहपठित नियम 9 के नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य तालिका में उनके सामने दर्शाई गई दिनांक को ग्रहण कर लिया है। ऋणियों व जमानतियों को विशिष्टया तथा सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्तियों के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। इन सम्पत्तियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार निम्न खातों के सामने दर्शाई गई बकाया राशि तथा उन पर ब्याज व खर्चों के लिए आवास फाईनेंस आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड (पूर्व में "ए यू हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड" के नाम से ज्ञात) के प्रभार के अध्यधीन होगा।

ऋणी का नाम	धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख एवं प्रकार
गोपाल गोपाल, पवन कुमार खाता सं. LNKOT00620-210158734	7 जुलाई 2022 ₹ 276782/- बकाया दिनांक 5 जुलाई 2022	पट्टा नं. 36, लाडपुरा, ग्राम पंचायत जालखेड़ा, पंचायत समिति भैंसरोड़गढ़, चित्तौड़गढ़, राजस्थान क्षेत्रफल 1540 वर्ग फीट	भौतिक कब्जा दिनांक 4 फरवरी 2024

स्थान : जयपुर दिनांक 06-01-2024 प्राधिकृत अधिकारी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

DNJ-310041

No.: RPCB/RO U/UDR/ 12551

का सर्वे कर रिपोर्ट बनानी है। जानकारी के अनुसार शहर विधायक ताराचंद जैन ने कुछ दिनों पूर्व जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल के साथ आयड़ नदी का दौरा किया था। इस दौरान ताराचंद जैन ने आयड़ नदी में कुछ अतिक्रमण बताकर नदी का पूरा सर्व करवाने के लिए कहा था। इस पर जिला कलेक्टर पोसवाल ने उपखण्ड अधिकारी रिया डाबी को टीमें बनाकर आयड़ नदी का सर्वे करवाकर अतिक्रमण चिन्हित करने के निर्देश दिए थे। इसी को लेकर उपखण्ड अधिकारी रिया डाबी ने तीन टीमों का गठन किया है। कृष्णपुरा रपट से सीपीएस पुलिया तक का सर्वे करने वाली पहली टीम का प्रभारी बडगांव तहसीलदार परवत सिंह को बनाया है। इसी तरह सीपीएस पुलिया से आयड़ पुलिया तक सर्वे करने वाली दूसरी टीम का प्रभारी तहसीलदार गिर्वा रामप्रसाद खटीक और सह प्रभारी उपतहसीलदार रेवतराम को बनाया है।

युवक फंदे पर लटका मिला

उदयपुर, (कासं)। शहर के सविना थानाक्षेत्र में युवक ने फांसी लगा आत्महत्या कर ली। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को सविना थाना क्षेत्र डाईट कार्यालय परिसर में बड के पेड़ के पास स्थित बांस पर शव फंदे से लटका होने की सूचना मिली। इस पर हेडकांस्टेबल राजेन्द्र गुर्जर ने मौके पर पहुंच कर मृतक को फंदे सेनिचे उतारा जिसकी शिनाख्त नहीं होने पर एमबी चिकित्सालय मोर्चरी में रखवा परिजनों की तलाश शुरू की। मृतक की उम्र करीब 30 वर्ष कद पांच फीट पांच इंच, दुबला पतला शरीर, रंग काला ब्ल्यू व काली टीशर्ट एवं ब्ल्यू जिंस पहने है। शव करीब चार दिन पुराना प्रतीत होता है।

कार्यों की देश की स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा स्वयं सघन निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता का विषय प्रत्येक जनमानस के साथ जुडा हुआ है और हमारे प्रदेश का प्रत्येक गांव स्वच्छ और सुंदर रहेगा तो वहां निवास करने वाले लोग भी स्वस्थ रहेंगे इसके साथ ही एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण के साथ हमारे ग्रामीण अंचल भी सुदृढ होंगे जिससे वहां की आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत

ग्रामीण भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका लक्ष्य है कि हमारा देश के सुदूर क्षेत्र तक गांव-गांव और ढाणी - ढाणी तक स्वच्छता पहुंचने चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन में सिर्फ सफाई करना ही नहीं है बल्कि इसके साथ और भी प्रमुख घटक है जैसे कि जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, घर-घर से कचरा एकत्र करना, नालियों की साफ सफाई, लेगेसी वेस्ट का निस्तारण, बायोगैस प्लांट लगाना, आरआरसी प्लांट, प्लास्टिक रोकथाम है। उन्होंने यह

अवैध अफीम डोडा पोस्त जब्त

उदयपुर, (कासं)। डबोक थाना पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान लाखों का अवैध अफीम डोडा पोस्त से भरी कार जब्त कर प्रकरण दर्ज किया। जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव के निर्देश पर चलाए जा रहे तलाशी अभियान के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रियंका, पुलिस उप अधीक्षक मनीष कुमार के सुपरविजन में डबोक थानाधिकारी चेलसिंह के नेतृत्व में गठित दल रविवार को गश्त के दौरान आसूचना के आधार पर ओडवाड़िया पहुंचे। जहां लावारिस हालत में पडी कार की तलाशी ली तो उसमें रखे कुल 22 कट्टों में 458.28 किलों अफीम डोडा पोस्त भरा हुआ था एवं दो नंबर प्लेटे मिली।

गिट्स व एल.एन.टी. एज्यूटेक के मध्य करार

उदयपुर, (कासं)। गीतांजली इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज डबोक उदयपुर एवं प्रमुख मल्टीनेशनल कम्पनी एल.एन.टी. एज्यूटेक के बीच इंजिनियरिंग की हैण्ड्स ऑन ट्रेनिंग प्रदान करने हेतु करार हुआ। जिसका उद्देश्य शिक्षा और उद्योग के बीच के खाई को कम करना हैं।

संस्थान निदेशक डॉ. एन. एस. राठौड ने बताया कि एल.एन.टी. एज्यूटेक, लार्सन एंड टुब्रो का एक प्रभाग हैं, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को नवीनतम तकनीको की ट्रेनिंग प्रदान करके रोजगार क्षमता और करियर की प्रगति को बढाना हैं। यह छात्रों को शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के प्रेक्टिकल ज्ञान में प्रशिक्षित एवं प्रमाणित करने का काम करता हैं। इस दिशा में संस्थान के निदेशक डॉ. एन.एस. राठौड एवं एल.एन.टी. एज्यूटेक के सेल्स हेड अशोक साहु ने समझौता प्रपत्रों पर हस्ताक्षर किये।

इस करार के तहत निर्माण, ऑटोमोटिव, सर्विलांस, ऑटोमेशन, ऊर्जा और हाइड्रोकार्बन जैसी उद्योगों में प्रयुक्त की जाने वाली नवीनतम तकनीकों का विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। ट्रेनिंग का उद्देश्य छात्रों को इनोवेटिव ज्ञान और कौशल प्रदान करके उद्योगों में सीधे प्रवेश करते के साथ इण्डस्ट्री रेडी स्टुडेंट तैयार करना हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से उद्योग व शिक्षा के बीच की जानकारी के अन्तर को कम करने का प्रयास किया जा रहा हैं ताकि छात्रों को तकनीकी ज्ञान, प्रेक्टिकल एक्सप्रियंश, स्किल और व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति हो सके और विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। संयोजक ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट हेड अरविन्द सिंह पेमावत के अनुसार इस प्रशिक्षण के तहत छात्रों को एल.एन.टी. एज्यूटेक के विशेषज्ञों द्वारा गिट्स के विभिन्न ब्रान्चों के चुनिन्दा 100 विद्यार्थियों को 45 दिन तक नवीनतम तकनीकों पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिससे उन्हें अपने क्षेत्र में कुशलता प्रदान होगी। जो उनके विभिन्न एम.एन.सी. कम्पनीज में प्लेसमेंट के लिए सहायता प्रदान करेगी। संस्थान के वित्त नियंत्रक बी.एल.जांगिड ने कहा कि यह समझौता उद्योग और शिक्षा के बीच समृद्धि की नई राहे खोलेगा जो हमारे युवा पीढी को विश्वस्त और सकारात्मक भविष्य की और मोड़ने में मदद करेगा।

इस अवसर पर एल.एन.टी. एज्यूटेक के मैनेजर अपूर्व सिन्हा सहित पूरा गीतांजली परिवार उपस्थित था। कार्यक्रम का संचालन असिस्टेंट प्रो. शैलजा राणावत ने किया।

भीम

LiFE

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ: 470,यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादडी, उदयपुर (राज.)
ई-मेल: rorpcbudaipur@gmail.com, फोन नं.: 0294-2491269

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय:- श्री भगवती लाल गमेती, एम.एल.न. 20/2022 (क्षेत्रफल 1.4131 हैक्टेयर) "क्वार्टज, फैल्सपार एवं मेसेनरी स्टोन", ग्राम-भानसोल, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री भगवती लाल गमेती, एम.एल.न. 20/2022 (क्षेत्रफल 1.4131 हैक्टेयर) "क्वार्टज, फैल्सपार एवं मेसेनरी स्टोन", ग्राम-भानसोल, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टज, फैल्सपार एवं मेसेनरी स्टोन माईन (एम.एल.न. 20/2022, क्षेत्रफल 1.4131 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 91,118 टन प्रतिवर्ष (टीम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।

2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है

3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:- 1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर। 2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय-4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरण्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, पंचवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.)। 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर। 6) उपखण्ड अधिकारी, मावली, जिला-उदयपुर। 7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। 8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 13.03.2024 (बुधवार) को प्रातः 11:00 बजे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत भानसोल, ग्राम-भानसोल, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर पालिका, नाथद्वारा

सं./न.पा.नाथ/90क/24/992 दिनांक:5/02/2024

लोक - सूचना

श्री ओमप्रकाश पिता श्री फतहलाल सेठिया निवासी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला-राजसमन्द (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर - कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
नाथद्वारा जिला-राजसमन्द	बागोल	2474/1846,2476/2166,2478/2425	कुल रकबा 0.1310 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 5/2/2024 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर पालिका नाथद्वारा

राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्रा.पं. भानसोल
पंचायत समिति मावली, जिला उदयपुर.
हार्दिक स्वागत
जय राजस्थान

राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर
द्वारा आयोजित सामुहिक जनसुनवाई
"क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंव मेसेनरी स्टोन खनन परियोजना" निकट ग्राम : भानसोल, तहसीलः मावली, जिलाः उदयपुर, (राज.)
क.सं. | खनन पट्टा | एम.एल संख्या | क्षेत्रफल है. | कुल उत्पादन क्षमता टी.पी.ए (आर.ओ.एम)
1 | श्री भगवती लाल गमेती | 20/2022 | 1.4131 | प्रस्तावित खनन पट्टे की उत्पादन क्षमता 91,118 टीपीए (आर.ओ.एम.) (क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार – खनिजः 35,000 टीपीए, खनिज अपशिष्टः 6,562, सबग्रेड 2,188 और मेसेनरी स्टोन : खनिजः 45,000 टीपीए, खनिज अपशिष्टः 2,368 टीपीए)
2 | श्री प्रदीप पालीवाल | 117/2014 | 4.0404 | 1,16,666 टीपीए (आर.ओ.एम.)
3 | श्री भैरू सिंह सिसौदिया | 57/2013 | 4.0031 | 1,76,997 टीपीए (आर.ओ.एम.)
क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल और उत्पादन | 9.4531 | 3,84,781 टीपीए (आर.ओ.एम.)
क्लस्टर पट्टा क्षेत्र 9.4531 हैक्टेयर, क्लस्टर की कुल उत्पादन क्षमता 3,84,781 (टी.पी.ए.) (आर.ओ.एम)
की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए सामुहिक लोक जनसुनवाई
दिनांक 13/03/2024 प्रातः 11:00 बजे से, स्थान– भारत निर्माण, राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम पंचायत भानसोल,
ग्राम : भानसोल, तहसील – मावली, जिला : उदयपुर, राजस्थान में प्रस्तावित है।
आवेदित खनन पट्टा क्षेत्रफल – 1.4131 हैक्टेयर, प्रस्तावित खनन पट्टे की उत्पादन क्षमता 91,118 टीपीए (आर.ओ.एम.)
गाँवः भानसोल, तहसीलः मावली, जिलाः उदयपुर (राजस्थान)
परियोजना प्रस्तावकः श्री भगवती लाल गमेती पुत्र श्री नारू जी गमेती

नारू जी गमेती

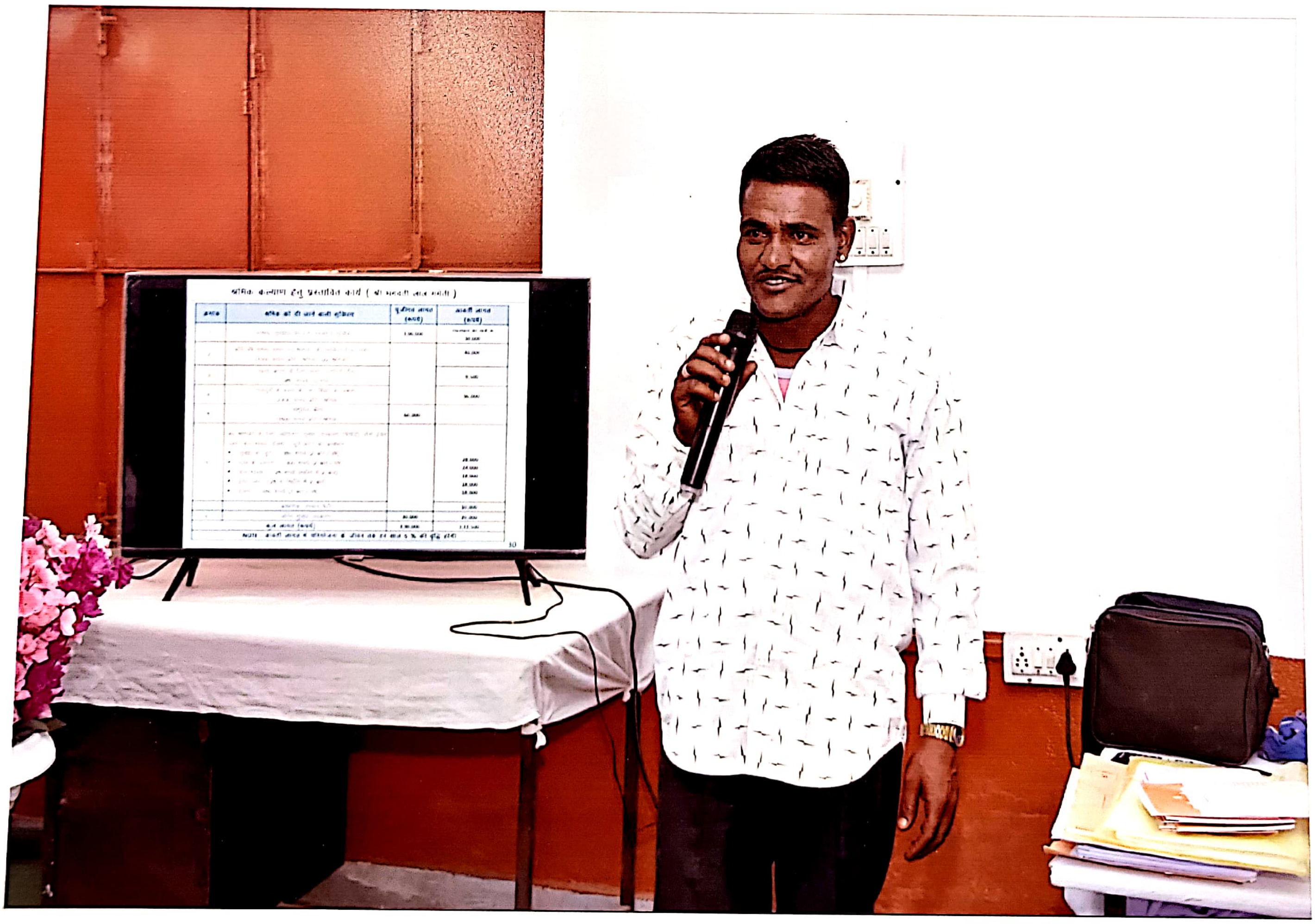
श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य

राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर
द्वारा आयोजित सामुहिक जनसुनवाई
फेल्डस्पार एवं मेसेनरी स्टोन खनन परियोजना" निकट ग्राम : मानसोल, तहसील: मावली, जिला: उदयपुर, (राज.)
नन पट्टा
एम.एल संख्या
क्षेत्रफल है.
कुल उत्पादन क्षमता टी.पी.ए (आर.ओ.एम)
ती लाल गमेती
20/2022
1.4131
ीप पालीवाल
117/2014
4.0404
1,16,666 टीपीए (आर.ओ.एम)
सिंह सिसौदिया
57/2013
4.0031
1,76,997 टीपीए (आर.ओ.एम)
क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल और उत्पादन
9.4531
3,84,781 टीपीए (आर.ओ.एम)
स्टर पट्टा क्षेत्र 9.4531 हैक्टेयर, क्लस्टर की कुल उत्पादन क्षमता 3,84,781 (टी.पी.ए) (आर.ओ.एम)
की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए सामुहिक लोक जनसुनवाई
/03/2024 प्रातः 11:00 बजे से, स्थान– भारत निर्माण, राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम पंचायत मानसोल,
ग्राम : मानसोल, तहसील – मावली, जिला : उदयपुर, राजस्थान में प्रस्तावित है।
पट्टा क्षेत्रफल – 1.4131 हैक्टेयर, प्रस्तावित खनन पट्टे की उत्पादन क्षमता 91,118 टीपीए (आर.ओ.एम)
गाँव: मानसोल, तहसील: मावली, जिला: उदयपुर (राजस्थान)
रियोजना प्रस्तावक: श्री भगवती लाल गमेती पुत्र श्री नारू जी गमेती